भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1311

जिसका उत्तर सोमवार 06 दिसंबर, 2021

15 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है

एअर इंडिया का विनिवेश

1311. श्री मनीष तिवारी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एअर इंडिया और इसकी आनुषंगिक इकाइयों की विनिवेश की शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ख) मूलरूप से वर्ष 2018-19 में तय मूल्य की तुलना में एअर इंडिया में विनिवेश के लेन-देन में आरक्षित मूल्य पर कम की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) एयरलाइन को अपने नियंत्रण में लेने के बाद टाटा सन्स द्वारा एअर इंडिया में इसकी इक्विटी का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार को इस बिक्री से कितनी राशि प्राप्त होगी;

(ड.) क्या हस्ताक्षरित सौदे की शर्तों के अनुसार टाटा सन्स पर अपने नियमित कर्मचारियों को भी एक साल से ज्यादा अवधि तक रखने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी; और

(च) सेवानिवृत्ति लाभों और पाने वाले या प्राप्त किए गए अन्य पारिश्रमिक के साथ स्थायी कर्मचारियों की नौकरी बचाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क): एअर इंडिया और उसकी अभिज्ञात सहायक कंपनी के रणनीतिक विनिवेश सौदे के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का वित्तीय बोली मापदंड एआईएक्सएल में एअर इंडिया की 100% शेयरधारिता और एआईएसएटीएस में एअर इंडिया की 50% शेयरधारिता सहित एअर इंडिया का उद्यम मूल्य था।

(ख): रणनीतिक विनिवेश की प्रक्रिया के अनुसार, आरक्षित मूल्य दूसरे चरण में सीलबंद वित्तीय बोलियां प्राप्त होने के बाद ही तय किया जाता है। तथापि, विनिवेश की पहली पुनरावृत्ति के दौरान प्रक्रिया दूसरे चरण में पहुंच ही नहीं सकी क्योंकि कोई रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग): सौदे के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार, खरीदार यह सुनिश्चित करेगा कि एअर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी (एआईएक्सएल) बंदीकरण की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक एक चालू कंपनी के आधार पर वायु परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के अपने व्यवसाय को जारी रखेंगी। शेयर खरीद करार में, हस्तांतरण के बाद खरीदार द्वारा इक्विटी के समावेशन के संबंध में कोई विशेष शर्त नहीं रखी गई है।

(घ): उच्चतम बोलीदाता, मैसर्स टाटा सन्स प्रा. लि. के पूर्ण स्वामित्व वाली उसकी सहायक कंपनी मैसर्स टेलेस प्रा. लि. ने 18,000 करोड़ रूपये का उद्यम मूल्य उद्धृत किया है जिसमें से 2700 करोड़ रूपये का नकद घटक है और शेष ऋण घटक है।

(ड.) एवं (च): यह बिक्री एक 'चालू कंपनी' के आधार पर है और दिनांक 25 अक्तूबर, 2021 को हस्ताक्षरित सहमत शेयर खरीद करार की शर्तों के अनुसार, कर्मचारी, इसके कर्मचारी बने रहेंगे। बंदीकरण की तारीख से 1 (एक) वर्ष की अवधि तक कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जा सकेगी और वे बंदीकरण के बाद दूसरे वर्ष में छंटनी के मामले में अधिकतम लाभों के साथ स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम के लिए पात्र होंगे। कर्मचारी लागू कानून/उद्योग परिपाटी के अनुसार, अन्य लाभों जैसे कि ग्रेच्युटी, भविष्य निधि लाभ, गमन अधिकार के लिए भी पात्र होंगे। कर्मचारियों को बंदीकरण के बाद 06 माह की अवधि के लिए आवासीय कॉलोनियों में रहने की अनुमति दी गई है। बंदीकरण के पश्चात कर्मचारियों के लिए ईएसओपी स्कीम का प्रावधान है। मौजूदा कर्मचारियों को उद्योग परिपाटी के अनुसार, चिकित्सा लाभ रणनीतिक खरीदार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। सेवानिवृत्ति के बाद, सभी सेवानिवृत्त कर्मचारियों (बंदीकरण की तारीख की स्थिति के अनुसार) और पात्र मौजूदा कर्मचारियों (जिनकी आयु 55 वर्ष या अधिक हो गई हो या जिन्होंने 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो) और उनके जीवन-साथियों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना सरकार का उत्तरदायित्व है।

*****